न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

विविध अपील संख्याः— 1/2019

1—मनुराणा पुत्र स्व0 विजयसिंह
2—सुरेखा पत्नि विजयसिंह
} निवासी हाल बजाज मैरिज होम के पीछे महाराजा प्रोपर्टी अनिरूद्व नगर, भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर (राज0)

.....अपीलान्टस

बनाम

1— लक्ष्मणसिंह पुत्र कल्याण सिंह जाति जाट निवासी बहनेरा तहसील व जिला भरतपुर
2— नत्थीसिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति जाट निवासी बहनेरा तहसील व जिला भरतपुर

.....असल रेस्पोडेन्ट

3—जितेन्द्र
4—पवन
} पिसरान स्व0 विजयसिंह जाति जाट निवासी हाल बजाज मैरिज होम के पीछे महाराजा प्रोपर्टी अनिरूद्व नगर, भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर

.....तरतीवी रेस्पोडन्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 04.01.2019 द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन पीठासीन अधिकारी भरतपुर भरण पोषण अधिनियम प्रकरण संख्या 06/2016

उपस्थितः—

1—श्री विजय सिंह कुतंल अभि.अपीलान्ट
2—रेस्पो. स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांक 14.08.2019

अपीलांट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन पीठासीन अधिकारी भरण पोषण अधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 04.01.2019 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट द्वारा अपील विरूद्व रेस्पो0 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि तहत अदालत ने अपने आदेश में इस बात का तो उल्लेख किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पैतृक भूमि में से भूमि का बेचान किया है परन्तु इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि रेसपोडेंट 1 जो कि रेस्पोडेंट संख्या 2 के प्रभाव में है जिसने अपीलानट व तरतीवी रेस्पोडेंट के हकों को मारने की नीयत से रेस्पोडेंट संख्या 2 की पत्नी के नाम करोडों की भूमि करा दी है और अब भी रेसपोडेन्ट संख्या 1 रेस्पोडेन्ट 2 के ही प्रभाव में रहकर प्रार्थी अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोडेन्टान से पैसा लेकर रेस्पोउेन्ट संख्या 2 के लिए ही देना चाहता है । इस प्रकार दुर्भावना पूर्वक किये गए मुकदमे पर अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोडेन्टस के विरूद्व इतनी राशि देने के आदेश पारित किये है जो काबिल निरस्तनीय है।

अपीलांट व रेस्पोडेन्टान के अलावा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की दो लडकी मुन्नी और नवलदेई है जिन्होंने पैतृक सम्पत्ति में हिस्सा लेने हेतु दावा भी सक्षम अदालत में पेश कर रखा है इसलिए जब कोई व्यक्ति विरासत में अधिकार रखता है ता वह सम्पूर्व दायित्वों का भी निर्वाह करने के लिए उत्तरदयी होता है। इस प्रकार इन समस्त तत्यों को नजर अंदाज करते हूए आदेश जैर अपील पारित किया है। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट व तरीतीवी रेस्पोडेन्टान के हिस्से को मारकर रेस्पोडेंट संख्या 2 के लिए देने हेतु अन्य और भी जमीनों का विक्रय लगभग पचास लाख रूप्ये का दीगर लोगों के लिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा करा दिया गया है जो सम्पूर्ण रकम रेस्पोउेन्ट संख्या 1 व 2 के ही पास है और केई हर्जाखर्चा किसी भी प्रकार का रेस्पोडेन्ट का नहीं हुआ। इस प्रकार जब अपने भरण पोषण के लिए प्र्याप्त राशि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पास है तो उसे अन्य राशि बाबत भरण पोषण दिया जाने की कोई आवश्यकता नहीं हे। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भरण पोषण व हारी बीमारी आदि सभी की जिम्मेदारी उठाते हुए अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपने पास रखकर उनकी पूर्णतय सेवा सुश्रुषा करने के लिए तैयार है तो उन्हें भरण पोषण के रूप में नकद राशि दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंत में अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार करने व उपखण्ड अधिकारी पदेन भरण पोषण अधिकारी के निर्णय दिनांक 04.01.2019 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहत न्यायालय पत्रावली तलब की गई। असल रेस्पोडेन्ट स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए।

अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील में विर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए अपील स्वीकार करने व उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 04.01.2019 को निरस्त करने का अनुरोध करते हुए अपनी बहस पूर्ण की। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लक्ष्मण सिंह ने कथन किया है कि प्रार्थी काफी वृद्ध है वह अक्सर बीमार रहता है। प्रार्थी के 2 पुत्र नत्था सिंह व विजय सिंह हैं । विजयसिंह राजस्थान पुलिस में कार्यरत था जिसका स्वर्गवास हो चुका हैं। अपीलांट संख्या 1 व रेस्पोडन्ट 3,4 स्व0 विजयसिंह के पुत्र व अपीलांट संख्या 2 स्व0 विजयसिंह की पत्नी हैं। रेस्पोडेन्ट 3,4 बतौर इंजीनियर कम्पनी में कार्यरत है तथा अपीलान्ट संख्या 1 शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है। प्रार्थी नत्थासिंह के साथ रहता है। प्रार्थी का भरण पोषण नत्थासिंह करता है। प्रार्थी अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। अपीलांट 1,2 व रेस्पोडेन्ट संख्या 3,4 द्वारा प्रार्थी के भरण पोषण में कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती है। इनके द्वारा उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 04.01.2019 की भी पालना नहीं की जा रही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षकारान के कथनो पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तहत न्यायालय की पत्रावली पर गौर किया गया। यह निर्विवाद रूप से प्रमाणित है कि रेस्पो0 संख्या 1 लक्ष्मणसिह वृद्ध है। इनके अपीलांट

संख्या 1 व रेस्पो0 संख्या 3,4 पौत्र व अपीलांट संख्या 2 पुत्रवधु व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 पुत्र है। इनके उपर रेस्पो0 संख्या 1 लक्ष्मणसिह के भरण पोषण एवं देखभाल की पूरी जिम्मेदारी है। भरण पोषण अधिनियमों के प्रावधानों के तहत वृद्ध माता पिता की उसके बालिग पुत्र,पौत्र व पुत्रवधू पर भरण पोषण, चिकित्सा व देखभाल का पूर्ण दायित्व रहता है। रेस्पो0 संख्या 3,4 कम्पनी में इन्जीनियर हैं। अपीलान्ट संख्या 1 राजकीय सेवा में कार्यरत है। अपीलांट संख्या 2 को सिविल पेंशन प्राप्त होती है। रेस्पो0 संख्या 2 खेती बाडी एवं उसके पुत्र प्राइवेट कम्पनी में काम करते हैं। इस प्रकार लक्ष्मण सिह के सभी पुत्र व पौत्र रोजगार से हैं। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा उनके निर्णय दिनांक 04.01.2019 के मुताबिक भरण पोषण राशि का भुगतान नहीं दिया गया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलांट संख्या 2 व रेस्पोडेन्ट संख्या 3,4 प्रत्येक 1250 रूपये प्रतिमाह एवं अपीलांट संख्या 1 मनुराणा 2000 रूपये प्रतिमाह एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 नत्था सिंह 5000रूपये प्रतिमाह, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लक्ष्मणसिंह के बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सारस चौराहा, भरतपुर के खाता संख्या 43860100009445 में जमा कराया जाने सुनिश्चित करें। पालना सुनिश्चित हो। चूंकि अपीलांट संख्या 1 मनुराणा शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है अतः जिला शिक्षा अधिकारी (द्वितीय) भरतपुर इनके वेतन से प्रतिमाह निर्णयानुसार राशि काटी जाकर लक्ष्मणसिंह के खाते में जमा कराया जाना सुनिश्चित करे। तहत न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ लौटाई जावे। निर्णय की प्रति जिला शिक्षा अधिकारी (द्वितीय) भरतपुर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(डॉ. आरुषी मलिक)
जिला कलक्टर
भरतपुर